सूचना का अधिकार/Right to Information

प्रधान मंत्री कार्यालय
PRIME MINISTER'S OFFICE

साउथ ब्लाक, नई दिल्ली -110 011
South Block, New Delhi – 110 011

No. RTI/8234/2024-PMR

दिनांक:

Subject: Decision on Appeal under the Right to Information Act, 2005.

Sir,

Please refer your letter dated 30.11.2024 (Online No. 00559), preferring an Appeal under the Right to Information Act, 2005.

2. It is observed that you made an RTI Application dated 09.11.2024 (Online No. 04329).

3. The CPIO, PMO vide online response dated 20.11.2024 provided response of this office.

4. I have examined the matter and I find that the information sought in the RTI Application is not specific. It is clarified that as per the provisions of RTI Act, 2005, CPIO is not obliged to interpret the information sought for, and as such the CPIO, is constrained not to act on the same.

5. Due to above reasons, no further action is called for on your Appeal and the same is accordingly disposed of.

6. In case you are not satisfied with the given decision, you may, if so desired, prefer 2nd Appeal under section 19(3) of the RTI Act, 2005, before the Central Information Commission, CIC Bhawan, Baba Gang Nath Marg, Munirka, New Delhi-110067, within 90 days of receipt of this communication by you.

Shobana
(Shobana Pramod)
Director & Appellate Authority

स्पीड पोस्ट

सूचना का अधिकार

प्रधान मंत्री कार्यालय
PRIME MINISTER'S OFFICE

साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली – 110 011

South Block, New Delhi – 110 011

संख्या आर.टी.आई./8607/2024-पी.एम.आर. दिनांकः

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपील पर निर्णय।

महोदय,

कृपया अपने दिनांकरहित पत्र का संदर्भ लें (17.12.2024 को प्राप्त) जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपील के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

2. यह पाया गया है कि आपने सूचना के अधिकार के अंतर्गत दिनांक 07.11.2024 को आवेदन किया था (25.11.2024 को प्राप्त)।

3. प्रधान मंत्री कार्यालय के केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी ने पत्र दिनांकित 05.12.2024 के माध्यम से इस कार्यालय का प्रत्युत्तर उपलब्ध कला दिया था।

4. मामले की जांच की गई है और यह पाया गया है कि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी ने आपको सूचित किया था कि कार्रवाई की मांग सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत शामिल नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(च) में यथापरिभाषित किसी सूचना की मॉग नहीं की गई है और लोक प्राधिकरण केवल उपलब्ध और अभिलेखों में मौजूद सूचना देने के लिए बाध्य है।

5. इसके साथ ही प्रधान मंत्री कार्यालय के केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी ने सूचित किया था कि आपका आर.टी.आई. आवेदन दिनांकित 07.11.2024 इस कार्यालय के लोक शिकायत स्कंध को अग्रेषित किया गया था जिसे बाद में पंजीकरण संख्या PMOPG/D/2024/0246834 दिनांकित 04.12.2024 के माध्यम से संबंधित अधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दिया गया था। उपर दी गई पंजीकरण संख्या का उपयोग कर आप अपनी शिकायत की स्थिति www.pgportal.gov.in/status से जान सकते हैं।

6. उपरोक्त कारणों के आधार पर, आपकी अपील पर आगें कोई कार्रवाई शेष नहीं है और तदनुसार इसका निपटान किया जाता है।

7. यदि आप दिए गए निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं, और यदि आप चाहें तो इस पत्र की प्राप्ति से 90 दिनों के भीतर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(3) के तहत केन्द्रीय सूचना आयोग, सीआईसी भवन, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनीरका, नई दिल्ली-110067 में द्वितीय अपील दायर कर सकती हैं।

शोभना

(शोभना प्रमोद)
निदेशक एवं अपीलीय प्राधिकारी

सूचना का अधिकार/Right to Information

प्रधान मंत्री कार्यालय
PRIME MINISTER'S OFFICE

साउथ ब्लाक, नई दिल्ली- 110 011
South Block, New Delhi – 110 011

No. RTI/8714/2024-PMR

Date:

Subject: Decision on appeal under the Right to Information Act, 2005.

Sir,

Please refer your letter dated 31.12.2024 (Online No. 00636), preferring an appeal under the Right to Information Act, 2005.

2. It is observed that you made an RTI application dated 30.11.2024 (Online No. 04578).

3. The CPIO, PMO, vide online response dated 03.01.2025 provided response of this office.

4. I have examined the matter. By way of appeal dated 31.12.2024, you contended that no information has been provided to you so far in this matter. It is observed that CPIO, PMO, vide online response dated 03.01.2025, has responded to you in the matter. The CPIO's response dated 03.01.2025 may be accessed at online RTI portal.

5. Due to above reasons, no further action is called for on your Appeal and the same is accordingly disposed of.

6. In case you are not satisfied with the given decision, you may, if so desired, prefer 2nd Appeal under section 19(3) of the RTI Act, 2005, before the Central Information Commission, CIC Bhawan, Baba Gang Nath Marg, Munirka, New Delhi-110067, within 90 days of receipt of this communication by you.

Shobana

(Shobana Pramod)
Director & Appellate Authority

प्रधान मंत्री कार्यालय
PRIME MINISTER'S OFFICE

साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली – 110 011
South Block, New Delhi – 110 011

सं. आरटीआई/8674/2024-पीएमआर दिनांक:

विषय – सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपील पर निर्णय।

महोदय,

कृपया दिनांक 18.12.2024 के अपने पत्र (ऑनलइन सं.00610) का संदर्भ लें, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपील के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

2. यह पाया गया है कि आपने सूचना का अधिकार के अंतर्गत दिनांक 28.11.2024 को किए गए आवेदन (ऑनलइन सं.04547) के माध्यम से इस कार्यालय में की गई शिकायत पर की गई कार्रवाई से संबंधित विवरण की मांग की थी।

3. प्रधान मंत्री कार्यालय के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ने दिनांक 18.12.2024 के ऑनलाइन प्रत्युत्तर द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ, इस कार्यालय का जवाब उपलब्ध करा दिया था।

4. मामले की जांच की गई है। प्रधान मंत्री कार्यालय के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ने आपको सूचित किया था कि आपकी याचिका पर उचित कार्रवाई हेतु इसे उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ को अग्रेषित किया गया है और इसलिए, इस मामले में की गई कार्रवाई से संबंधित विवरण प्राप्त करने के लिए वेब-लिंक www.pgportal.gov.in को देखने की सलाह दी गई थी। यह निर्णय दिया जाता है कि इस कार्यालय के अभिलेखों के अनुसार उपलब्ध कराई गई सूचना पर्याप्त है । इसे देखते हुए, आपको प्रश्नगत पत्र के संदर्भ में की जा चुकी कार्रवाई के विषय में आगे की सूचना / शिकायत के लिए संबंधित लोक प्राधिकारण अर्थात् उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ से संपर्क करने की सलाह दी जाती है क्योंकि यह पत्र उन्हें अग्रेषित किया गया है और उन्हीं के पास है। प्रधान मंत्री कार्यालय के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी अन्य लोक प्राधिकारी के पास मौजूद मामलों पर उन्हें निर्देश देने अथवा

कार्रवाई के लिए उन्हें प्रेरित करने हेतु बाध्य नहीं हैं, क्योंकि अधिनियम में ऐसा प्रावधान नहीं है।

5. ऊपर दिए गए कारणों से, आपकी अपील पर और कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है और तदनुसार इसका निपटान किया जाता है।

6. यदि आप उक्त निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं और यदि आप चाहें, तो इस पत्र की प्राप्ति से 90 दिनों के भीतर, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(3) के तहत केंद्रीय सूचना आयोग, "सीआईसी भवन", बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनीरका, नई दिल्ली-110067 में द्वितीय अपील दायर कर सकते हैं।

शोभना

(शोभना प्रमोद)
निदेशक एवं अपीलीय प्राधिकारी

सूचना का अधिकार/Right to Information

प्रधान मंत्री कार्यालय
PRIME MINISTER'S OFFICE

साउथ ब्लाक, नई दिल्ली -110 011
South Block, New Delhi – 110 011

No. RTI/9390/2024-PMR

दिनांक:

Subject: Decision on appeal under the Right to Information Act, 2005.

Sir,

Please refer your letter dated 22.01.2025 (Online No. 00032), preferring an appeal under the Right to Information Act, 2005.

2. It is observed that you made an RTI application dated 30.12.2024 (Online No. 04911).

3. The CPIO, PMO, vide online response dated 17.01.2025, provided you response of this office.

4. I have examined the matter and it is held that information provided in respect of your RTI application suffice

5. Due to above reasons, no further action is called for on your Appeal and the same is accordingly disposed of.

6. In case you are not satisfied with the given decision, you may, if so desired, prefer 2nd Appeal under section 19(3) of the RTI Act, 2005, before the Central Information Commission, CIC Bhawan, Baba Gang Nath Marg, Munirka, New Delhi-110067, within 90 days of receipt of this communication by you.

Shobana
(Shobana Pramod)
Director & Appellate Authority

सूचना का अधिकार/Right to Information

प्रधान मंत्री कार्यालय
PRIME MINISTER'S OFFICE

साउथ ब्लाक, नई दिल्ली -110 011
South Block, New Delhi – 110 011

No. RTI/370/2025-PMR

दिनांक:

Subject: Decision on Appeal under the Right to Information Act, 2005.

Sir,

Please refer your letter dated 06.02.2025 (Online No. 00054), preferring an Appeal under the Right to Information Act, 2005.

2. It is observed that you made an RTI Application dated 14.01.2025 (Online No. 00163).

3. The CPIO, PMO, vide online response dated 31.01.2025 furnished the response of this office.

4. I have examined the matter. By way of appeal, you have contended that no reply has been provided to you within the permissible time limit. It is observed that CPIO, PMO, vide online response dated 31.01.2025, has provided response to you under the provision of RTI Act, 2005. The CPIO's response dated 31.01.2025 may be accessed at online RTI portal.

5. Due to above reasons, no further action is called for on your Appeal and the same is accordingly disposed of.

6. In case you are not satisfied with the given decision, you may, if so desired, prefer 2nd Appeal under section 19(3) of the RTI Act, 2005, before the Central Information Commission, CIC Bhawan, Baba Gang Nath Marg, Munirka, New Delhi-110067, within 90 days of receipt of this communication by you.

Shobana
(Shobana Pramod)
Director & Appellate Authority

प्रधान मंत्री कार्यालय
PRIME MINISTER'S OFFICE

साउथ ब्लाक, नई दिल्ली -110 011
South Block, New Delhi – 110 011

No. RTI/8537/2024-PMR

दिनांक:

Subject: Decision on appeal under the Right to Information Act, 2005.

Sir,

Please refer your letter dated 13.12.2024 (Online No. 00598), preferring an Appeal under the Right to Information Act, 2005.

2. It is observed that you made an RTI Application dated 23.11.2024 (Online No. 04486).

3. The CPIO, PMO, vide online response dated 11.12.2024, advised you to file RTI application directly with the concerned public authority to which the matter relates.

4. I have examined the matter and it is observed that the CPIO, PMO has advised you to approach the public authority concerned. CPIO, PMO is not obliged to direct or cause action to be taken in respect of matters resting with other public authorities, as it is not given for in the Act. Further, it may be noted that the Act requires the supply of such information only which already exists and is held by the public authority or held under the control of the public authority. Hence, the stand of CPIO, PMO is in order.

5. Due to above reasons, no further action is called for on your Appeal and the same is accordingly disposed of.

6. In case you are not satisfied with the given decision, you may, if so desired, prefer 2nd Appeal under section 19(3) of the RTI Act, 2005, before the Central Information Commission, CIC Bhawan, Baba Gang Nath Marg, Munirka, New Delhi-110067, within 90 days of receipt of this communication by you.

Shobana

(Shobana Pramod)
Director & Appellate Authority

स्पीड पोस्ट

सूचना का अधिकार

प्रधान मंत्री कार्यालय
PRIME MINISTER'S OFFICE

साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली – 110 011
South Block, New Delhi – 110 011

सं.आरटीआई/7784/2024-पीएमआर

दिनांक:

विषय – सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपील पर निर्णय।

महोदय,

कृपया प्रधान मंत्री कार्यालय के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को संबोधित अपने पत्र दिनांकित 12.11.2024 (दिनांक 03.12.2024 को प्राप्त) का संदर्भ लें जो आपके पिछले पत्र दिनांकित 10.10.2024 (दिनांक 22.10.2024 को प्राप्त) से संबंधित है। इस संबंध में, इस कार्यालय के पत्र दिनांकित 04.11.2024 की ओर आपका ध्यान दिलाया जाता है जिसके माध्यम से आपको सूचित किया गया था कि अधिनियम में निर्धारित शुल्क का भुगतान न होने के कारण आपके पूर्व पत्र दिनांकित 10.10.2024 को वैध आरटीआई आवेदन नहीं माना गया है।

2. यह पाया गया है कि प्रधान मंत्री कार्यालय के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ने आपको इस कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदन करने के लिए, अधिनियम में निर्धारित भुगतान के अधिकृत तरीकों के बारे में भी सूचित किया था। तथापि, आपने अपेक्षित कार्रवाई नहीं की। इसे देखते हुए, आपके वर्तमान पत्र दिनांक 12.11.2024 को अपील के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह एक ऐसे आवेदन से संबंधित है जिसे निर्धारित शुल्क के भुगतान के अभाव में आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत पहले ही अमान्य कर दिया गया है। इसलिए, आपसे निर्धारित शुल्क के साथ सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत फिर से आवेदन करने का अनुरोध किया जाता है।

3. यदि आप उक्त निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं तो इस पत्र की प्राप्ति से 90 दिनों के भीतर केंद्रीय सूचना आयोग, "सीआईसी भवन", बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनीरका, नई दिल्ली-110067 के समक्ष द्वितीय अपील दायर कर सकते हैं।

संलग्नक: चेक सं. 575884 दिनांकित 15.08.2024

शोभना

(शोभना प्रमोद)

निदेशक एवं अपीलीय प्राधिकारी

प्रधान मंत्री कार्यालय
PRIME MINISTER'S OFFICE

साउथ ब्लाक, नई दिल्ली- 110 011
South Block, New Delhi – 110 011

No. RTI/7705/2024-PMR Date:

Subject: Decision on appeal under the Right to Information Act, 2005.

Sir,

Please refer your letter dated 05.12.2024 (Online No. 00572), preferring an appeal under the Right to Information Act, 2005.

2. It is observed that you made an RTI application dated 13.10.2024 (Online No. 03947).

3. The CPIO, PMO, vide online response dated 14.11.2024 provided response of this office.

4. I have examined the matter and it is clarified in the context that no information as defined in section 2(f) of the RTI Act, 2005 is sought in Point No. 1 of the RTI Application, and a public authority is only obliged to provide such information as is available.

5. With regard to Point No. 2, it is held that information provided suffice as it is as per records of this office.

6. Due to above reasons, no further action is called for on your Appeal and the same is accordingly disposed of.

7. In case you are not satisfied with the given decision, you may, if so desired, prefer 2nd Appeal under section 19(3) of the RTI Act, 2005, before the Central Information Commission, CIC Bhawan, Baba Gang Nath Marg, Munirka, New Delhi-110067, within 90 days of receipt of this communication by you.

Shobana

(Shobana Pramod)
Director & Appellate Authority

सूचना का अधिकार/Right to Information

प्रधान मंत्री कार्यालय
PRIME MINISTER'S OFFICE

साउथ ब्लाक, नई दिल्ली -110 011
South Block, New Delhi – 110 011

No. RTI/8485/2024-PMR **Date:**

Subject: Decision on appeal under the Right to Information Act, 2005.

Sir,

Please refer your letter dated 02.12.2024 (Online No. 00566), preferring an appeal under the Right to Information Act, 2005.

2. It is observed that you made an RTI Application dated 20.11.2024 (Online No. 04443).

3. The CPIO, PMO, vide online response dated 02.12.2024, furnished the response of this office.

4. I have examined the matter and it is observed that the information sought by you primarily pertains to the State Government. Therefore, the advice of CPIO, PMO to you to file application separately with the concerned public authority(s) of the State Government for obtaining the requisite information is in order.

5. Due to above reasons, no further action is called for on your Appeal and the same is accordingly disposed of.

6. In case you are not satisfied with the given decision, you may, if so desired, prefer 2nd Appeal under section 19(3) of the RTI Act, 2005, before the Central Information Commission, CIC Bhawan, Baba Gang Nath Marg, Munirka, New Delhi-110067, within 90 days of receipt of this communication by you.

Shobana
(Shobana Pramod)
Director & Appellate Authority

स्पीड पोस्ट

सूचना का अधिकार

प्रधान मंत्री कार्यालय

PRIME MINISTER'S OFFICE

साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली-110011

सं. आरटीआई/4944/2024-पीएमआर

दिनांक:

विषय – सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपील पर निर्णय।

महोदय,

कृपया अपने दिनांकरहित पत्र (दिनांक 16.08.2024 को प्राप्त) का संदर्भ लें, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपील के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

2. यह पाया गया है कि आपने दिनांक 01.07.2024 को सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किए गए आवेदन (दिनांक 08.07.2024 को प्राप्त) के माध्यम से विविध सूचना की मांग की थी।

3. प्रधान मंत्री कार्यालय के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ने दिनांक 24.07.2024 के पत्र द्वारा इस कार्यालय का जवाब उपलब्ध करा दिया था।

4. मामले से संबंधित अभिलेखों की जांच की गई है। अभिलेखों का अवलोकन करने पर पाया गया है कि आपके द्वारा मांगी गई सूचना अस्पष्ट और विस्तृत है। सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी मांगी गई सूचना की व्याख्या करने के लिए बाध्य नहीं है।

इसके साथ, प्रधानमंत्री कार्यालय के केंद्रीय लोक सूचना प्राधिकारी को दंडित करने के आपके अनुरोध के संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रकार का अनुरोध प्रथम अपील के स्तर पर स्वीकार्य नहीं है।

जारी---/---

सं0 आरटीआई/4944/2024-पीएमआर

5. ऊपर दिए गए कारणों के आधार पर, आपकी अपील पर और कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं है और तदनुसार इसका निपटान किया जाता है।

6. यदि आप दिए गए निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं और यदि आप चाहें, तो इस पत्र की प्राप्ति से 90 दिनों के भीतर, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(3) के तहत केंद्रीय सूचना आयोग, "सीआईसी भवन", बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनीरका, नई दिल्ली-110067 के समक्ष द्वितीय अपील दायर कर सकते हैं।

शोभना

(शोभना प्रमोद)

निदेशक एवं अपीलीय प्राधिकारी

स्पीड पोस्ट

सूचना का अधिकार

प्रधान मंत्री कार्यालय
PRIME MINISTER'S OFFICE

साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली – 110 011
South Block, New Delhi – 110 011

संख्याः आरटीआई/4090/2024-पीएमआर दिनांक:

विषय -- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपील पर निर्णय।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांकित 08.08.2024 (दिनांक 11.07.2024 को प्राप्त) का संदर्भ लें जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपील के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

2. यह पाया गया है कि आपने सूचना का अधिकार के तहत दिनांक 03.06.2024 को किए गए आवेदन (07.06.2024 को प्राप्त) के माध्यम से विविध सूचना की माँग की थी।

3. प्रधान मंत्री कार्यालय के केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी ने पत्र दिनांकित 24.06.2024 के माध्यम से इस कार्यालय का जवाब उपलब्ध करा दिया था।

4. इस मामले में संबंधित अभिलेखों की जांच की गई है। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि सूचना के किसी अंश की उपलब्धता अथवा अनुपलब्धता के संदर्भ में अभिलेखरक्षक अर्थात केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी का निर्णय सर्वोपरि है और मौजूदा मामले में चूंकि अभिलेखों का अस्तित्व अस्वीकार किया गया है, आपके दावे के विपरीत दिया गया निर्णय अभिभावी होगा।

5. उपर्युक्त कारणों से आपकी अपील पर और कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं है और तदनुसार इसका एतदद्वारा निपटान किया जाता है ।

6. यदि आप उक्त निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं और यदि आप उचित समझें तो यह पत्र मिलने के 90 दिन के भीतर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(3) के तहत केन्द्रीय सूचना आयोग, सी.आई.सी. भवन, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनीरका, नई दिल्ली -110067 के समक्ष द्वितीय अपील दायर कर सकते हैं।

शोभना

(शोभना प्रमोद)
निदेशक एवं अपील प्राधिकारी

स्पीड पोस्ट
सूचना का अधिकार

प्रधान मंत्री कार्यालय
PRIME MINISTER'S OFFICE

साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली – 110 011
South Block, New Delhi – 110 011

संख्याः आरटीआई/3023/2024-पीएमआर

दिनांक:

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपील पर निर्णय।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांकित 21.05.2024 का संदर्भ ग्रहण करें (दिनांक 27.05.2024 को प्राप्त) जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपील के तौर पर प्रस्तुत किया गया है।

2. यह पाया गया है कि आपने सूचना का अधिकार के तहत किए गए आवेदन दिनांकित 28.03.2024 (दिनांक 18.04.2024 को प्राप्त) के माध्यम से विविध सूचनाओं की मांग की थी।

3. केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, प्रधान मंत्री कार्यालय ने पत्र दिनांकित 14.05.2024 के माध्यम से आपको सूचित किया था कि आपके द्वारा वांछित सूचना स्पष्ट नहीं है।

4. इस विषय में अभिलेखों की जाँच की गई है। अभिलेखों को देखने पर यह पाया गया है कि आपके द्वारा माँगी गई सूचना अभी भी अस्पष्ट है। सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार, व्यक्ति को ऐसे प्रश्न स्वच्छ और स्पष्ट तौर पर लिखने चाहिए जिनके संबंध में सूचना की माँग की गई है। इसलिए, इस मामले में केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी, प्रधान मंत्री कार्यालय के निर्णय में हस्तक्षेप का कोई न्यायोचित औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

5. उपर्युक्त कारणों से, आपकी अपील पर आगे कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं है और तदनुसार इसका निपटान किया जाता है।

6. यदि आप दिए गए निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं, और यदि आप चाहें तो इस पत्र की प्राप्ति से 90 दिनों के भीतर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(3) के तहत केन्द्रीय सूचना आयोग, सीआईसी भवन, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनीरका, नई दिल्ली-110067 में द्वितीय अपील दायर कर सकते हैं।

शोभना

(शोभना प्रमोद)
निदेशक एवं अपीलीय प्राधिकारी

सूचना का अधिकार

प्रधान मंत्री कार्यालय
PRIME MINISTER'S OFFICE

साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली – 110 011
South Block, New Delhi – 110 011

संख्या: आरटीआई/709/2024-पीएमआर

दिनांक:

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपील पर निर्णय।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांकित 05.02.2024 का संदर्भ लें (ऑनलाइन संख्या 00048) जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपील के तौर पर प्रस्तुत किया गया है।

2. यह पाया गया है कि आपने सूचना का अधिकार के तहत किए गए आवेदन दिनांकित 22.01.2024 (ऑनलाइन संख्या 00359) के माध्यम से विविध सूचनाओं की मांग की थी।

3. केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी, प्रधान मंत्री कार्यालय ने दिनांक 05.02.2024 को ऑनलाइन माध्यम से आपको इस कार्यालय का प्रत्युत्तर उपलब्ध करा दिया था।

4. इस विषय में अभिलेखों की जाँच की गई है। अभिलेखों को देखने पर यह पाया गया है कि केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी, प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा सूचित किया गया था कि अलग-अलग विषयों पर सूचना की माँग की गई है। इस मामले में केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी, प्रधान मंत्री कार्यालय के निर्णय में हस्तक्षेप का कोई औचित्यपूर्ण कारण नहीं है।

5. उपर्युक्त कारणों से, आपकी अपील पर आगे कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं है और तदनुसार इसका निपटान किया जाता है।

6. यदि आप दिए गए निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं, और यदि आप चाहें तो इस पत्र की प्राप्ति से 90 दिनों के भीतर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(3) के तहत केन्द्रीय सूचना आयोग, सीआईसी भवन, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनीरका, नई दिल्ली-110067 में द्वितीय अपील दायर कर सकते हैं।

शोभना।

(शोभना प्रमोद)

निदेशक एवं अपीलीय प्राधिकारी

सूचना का अधिकार/Right to Information

प्रधान मंत्री कार्यालय
PRIME MINISTER'S OFFICE

साउथ ब्लाक, नई दिल्ली -110 011
South Block, New Delhi – 110 011

No. RTI/7267/2024-PMR Date:

Subject: Decision on appeal under the Right to Information Act, 2005.

Sir,

Please refer your letter dated 15.10.2024 (Online No. 00461), preferring an appeal under the Right to Information Act, 2005.

2. It is observed that you made an RTI application dated 03.10.2024 (Online No. 03822), seeking miscellaneous information.

3. The CPIO, PMO, vide online response dated 15.10.2024 provided response of this office.

4. I have examined the records in the matter. In this regard, it is held that the information provided suffice as it is as per records of this office, and, there is no other information remaining to be shared in the matter with you. It is again clarified that the status of your grievance may be obtained from the website www.pgportal.gov.in/Status by using the registration number of your petition.

5. Due to above reasons, no further action is called for on your Appeal and the same is accordingly disposed of.

6. In case you are not satisfied with the given decision, you may, if so desired, prefer 2nd Appeal under section 19(3) of the RTI Act, 2005, before the Central Information Commission, CIC Bhawan, Baba Gang Nath Marg, Munirka, New Delhi-110067, within 90 days of receipt of this communication by you.

Shobana
(Shobana Pramod)
Director & Appellate Authority

स्पीड पोस्ट
सूचना का अधिकार

प्रधान मंत्री कार्यालय
PRIME MINISTER'S OFFICE

साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली – 110 011

संख्या आरटीआई/4360/2024-पीएमआर दिनांक:

विषय – सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपील पर निर्णय।

महोदय,

कृपया दिनांक 20.09.2024 के अपने पत्र (दिनांक 23.09.2024 को प्राप्त) का संदर्भ लें, जिसे आपने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपील के रूप में प्रस्तुत किया है।

2. यह पाया गया है कि आपने सूचना का अधिकार के अंतर्गत किए गए दिनांक 15.06.2024 के आवेदन (दिनांक 19.06.2024 को प्राप्त) के माध्यम से इस कार्यालय से विविध सूचना मांगी थी।

3. प्रधानमंत्री कार्यालय के केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी ने दिनांक 03.07.2024 को अन्य बातों के साथ-साथ इस कार्यालय का प्रत्युत्तर उपलब्ध करवा दिया था।

4. आपका ध्यान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) की ओर दिलाया जाता है, जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि कोई व्यक्ति जिसे निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्णय प्राप्त नहीं होता है अथवा केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, वह इस अवधि के समाप्त होने अथवा निर्णय प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकता है। मौजूदा मामले में तथ्यों के अनुसार आपके दिनांक 15.06.2024 के आवेदन का प्रत्युत्तर इस कार्यालय द्वारा 03.07.2024 के पत्र के माध्यम से उपलब्ध करा दिया गया था। आपका दिनांक 20.09.2024 का पत्र इस कार्यालय के दिनांक 03.07.2024 के प्रत्युत्तर के प्रेषण से दो महीनों के उपरान्त का है।

5. उपरोक्त कारणों के आधार पर, आपकी अपील पर और कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं है और तदनुसार इसका निपटान किया जाता है।

6. इसे नोडल आरटीआई अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(राजपाल सिंह बड़गूजर)
अनुभाग अधिकारी एवं
केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी

स्पीड पोस्ट/Speed Post
सूचना का अधिकार/Right to Information

प्रधान मंत्री कार्यालय
PRIME MINISTER'S OFFICE

साउथ ब्लाक, नई दिल्ली -110 011
South Block, New Delhi – 110 011

No. RTI/9266/2024-PMR

दिनांक:

Subject: Decision on appeal under the Right to Information Act, 2005.

Sir,

Please refer your letter dated 02.01.2025 (received on 06.01.2025), preferring an Appeal under the Right to Information Act, 2005.

2. It is observed that you made an RTI Application dated 26.12.2024 (Online No. 04860).

3. The CPIO, PMO electronically transferred your application to Ministry of Petroleum & Natural Gas, u/s 6(3) of the Act on 30.12.2024.

4. I have examined the matter and it is observed that the CPIO, PMO, has effected transfer of the Application to Ministry of Petroleum & Natural Gas, u/s 6(3) of the Act. With the transfer so effected, all action on the part of this office stands completed. Any grievance relating to non-supply or quality of information by the transferee public authority is not maintainable before this office. It may instead be preferred before the designated Appellate Authority in the public authority concerned only.

5. Due to above reasons, no further action is called for on your Appeal and the same is accordingly disposed of.

6. In case you are not satisfied with the given decision, you may, if so desired, prefer 2nd Appeal under section 19(3) of the RTI Act, 2005, before the Central Information Commission, CIC Bhawan, Baba Gang Nath Marg, Munirka, New Delhi-110067, within 90 days of receipt of this communication by you.

Shobana

(Shobana Pramod)
Director & Appellate Authority

<u>सूचना का अधिकार/**Right to Information**</u>

प्रधान मंत्री कार्यालय
PRIME MINISTER'S OFFICE

साउथ ब्लाक, नई दिल्ली -110 011
South Block, New Delhi – 110 011

No. RTI/5949/2025-PMR

दिनांक: 19/09/2025

To,

Subject: Decision on appeal under the Right to Information Act, 2005.

Sir,

Please refer to your letter dated 08.09.2025 (Online No. 00338), preferring an appeal under the Right to Information Act, 2005.

2. It is observed that you made an RTI application dated 24.08.2025 (Online No. 03120), seeking information relating to an earlier grievance.

3. The CPIO, PMO, vide online response dated 08.09.2025, informed you that no attachment was found with your RTI Application.

4. I have examined the records in the matter. In this regard, it is held that information provided in respect of your RTI application suffice as it is as per records of this office, and, there is no other information remaining to be shared in the matter with you.

5. Due to above reasons, no further action is called for on your Appeal and the same is accordingly disposed of.

6. In case you are not satisfied with the given decision, you may, if so desired, prefer 2nd Appeal under section 19(3) of the RTI Act, 2005, before the Central Information Commission, CIC Bhawan, Baba Gang Nath Marg, Munirka, New Delhi-110067, within 90 days of receipt of this communication by you.

Shobana

(Shobana Pramod)
Director & Appellate Authority

RTI Online Portal
सूचना का अधिकार/Right to Information

प्रधान मंत्री कार्यालय
PRIME MINISTER'S OFFICE

साउथ ब्लाक, नई दिल्ली -110 011
South Block, New Delhi – 110 011

No. RTI/5787/2025-PMR

दिनांक: 16/10/25

To,

Subject: Decision on Appeal under the Right to Information Act, 2005.

Sir,

Please refer your letter dated 21.09.2025 (Online No. 00373), preferring an Appeal under the Right to Information Act, 2005.

2. It is observed that you made an RTI Application dated 19.08.2025 (Online No. 03040).

3. The CPIO, PMO, vide online response dated 14.10.2025 furnished the response of this office and partially transferred the RTI Application to Ministry of External Affairs (in respect of Point Nos. 7 & 8), u/s 6(3) of the Act.

4. I have examined the matter. By way of appeal, you have contended that no reply has been provided to you within the permissible time limit. It is observed that CPIO, PMO, vide online response dated 14.10.2025, has provided response to you. The CPIO's response dated 14.10.2025 may be accessed at online RTI portal.

5. Due to above reasons, no further action is called for on your Appeal and the same is accordingly disposed of.

6. In case you are not satisfied with the given decision, you may, if so desired, prefer 2nd Appeal under section 19(3) of the RTI Act, 2005, before the Central Information Commission, CIC Bhawan, Baba Gang Nath Marg, Munirka, New Delhi-110067, within 90 days of receipt of this communication by you.

Shobana
(Shobana Pramod)
Director & Appellate Authority

Through Online Portal
सूचना का अधिकार/Right to Information

प्रधान मंत्री कार्यालय
PRIME MINISTER'S OFFICE

साउथ ब्लाक, नई दिल्ली -110 011
South Block, New Delhi – 110 011

No. RTI/6341/2025-PMR

Dated: 19/09/2025

To,

Subject: Decision on appeal under the Right to Information Act, 2005.

Sir,

Please refer your letter dated 12.09.2025 (Online No. 00348), preferring an appeal under the Right to Information Act, 2005.

2. It is observed that you made an RTI applications dated 09.09.2025 (online No. 03333).

3. The CPIO, PMO, vide online response dated 12.09.2025, inter-alia, had given the response of this office.

4. I have examined the matter. In this regard, it is held that the information provided suffice as it is as per records of this office, and, there is no other information remaining to be shared in the matter with you. The status of your grievance may be obtained from the website www.pgportal.gov.in/Status by using the registration number of your petition.

5. Due to above reasons, no further action is called for on your Appeal and the same is accordingly disposed of.

6. In case you are not satisfied with the given decision, you may, if so desired, prefer 2nd Appeal under section 19(3) of the RTI Act, 2005, before the Central Information Commission, CIC Bhawan, Baba Gang Nath Marg, Munirka, New Delhi-110067, within 90 days of receipt of this communication by you.

Shobana
(Shobana Pramod)
Director & Appellate Authority

Through Online Portal
सूचना का अधिकार/Right to Information

प्रधान मंत्री कार्यालय
PRIME MINISTER'S OFFICE

साउथ ब्लाक, नई दिल्ली -110 011
South Block, New Delhi – 110 011

No. RTI/6343/2025-PMR

दिनांक: 19/09/2025

To,

Subject: Decision on appeal under the Right to Information Act, 2005.

Sir,

Please refer your letter dated 14.09.2025 (Online No. 00352), preferring an appeal under the Right to Information Act, 2005.

2. It is observed that you made an RTI Application dated 06.09.2025 (Online No. Online No. 03298).

3. The CPIO, PMO, vide letter dated 12.09.2025, provided response of this office.

4. I have examined the matter and it is clarified in the context that no information as defined in section 2(f) of the RTI Act, 2005 is sought and a public authority is only obliged to provide such information as is available and existing in its records.

5. Due to above reasons, no further action is called for on your Appeal and the same is accordingly disposed of.

6. In case you are not satisfied with the given decision, you may, if so desired, prefer 2nd Appeal under section 19(3) of the RTI Act, 2005, before the Central Information Commission, CIC Bhawan, Baba Gang Nath Marg, Munirka, New Delhi-110067, within 90 days of receipt of this communication by you.

Shobana
(Shobana Pramod)
Director & Appellate Authority

By Speed Post

सूचना का अधिकार/Right to Information

प्रधान मंत्री कार्यालय

PRIME MINISTER'S OFFICE

साउथ ब्लाक, नई दिल्ली- 110 011
South Block, New Delhi – 110 011

No. RTI/5272/2025-PMR

Date: 18/09/2025

To,

Subject: Decision on appeal under the Right to Information Act, 2005.

Sir,

Please refer your letter '01.09.2025' (Received on 15.09.2025), preferring an appeal under the Right to Information Act, 2005.

2. It is observed that you made an RTI application dated 16.07.2025 (Received on 28.07.2025).

3. The CPIO, PMO, vide letter dated 08.08.2025 provided response of this office.

4. I have examined the matter. CPIO, PMO has informed you that your petition dated 30.09.2024, has been forwarded to the Securities and Exchange Board of India (SEBI) for appropriate action and, therefore, it was advised to access the web-link www.pgportal.gov.in to get details about status of action as may have been taken in the matter.

5. It is held that information provided suffice as they are as per records of this office. Given that you are advised to consult the concerned public authority i.e. the Securities and Exchange Board of India (SEBI) for further information/grievance regarding action as may have been taken with reference to the letter in question forwarded and resting with them.

6. Due to above reasons, no further action is called for on your Appeal and the same is accordingly disposed of.

7. In case you are not satisfied with the given decision, you may, if so desired, prefer 2nd Appeal under section 19(3) of the RTI Act, 2005, before the Central Information Commission, CIC Bhawan, Baba Gang Nath Marg, Munirka, New Delhi-110067, within 90 days of receipt of this communication by you.

Shobana
(Shobana Pramod)
Director & Appellate Authority

Through Online Portal
सूचना का अधिकार/Right to Information

प्रधान मंत्री कार्यालय
PRIME MINISTER'S OFFICE

साउथ ब्लाक, नई दिल्ली -110 011
South Block, New Delhi – 110 011

No. RTI/6351/2025-PMR

दिनांक: 19/09/2025

To,

Subject: Decision on appeal under the Right to Information Act, 2005.

Sir,

Please refer your letter dated 12.09.2025 (Online No. 00350), preferring an appeal under the Right to Information Act, 2005.

2. It is observed that you made an RTI application dated 07.09.2025 (Online No. 03318).

3. The CPIO, PMO, vide online response dated 12.09.2025, provided you response of this office.

4. I have examined the matter and it is held that information provided in respect of your RTI application suffice as it is as per records of this office.

5. Reference is also invited to CIC Decision in Appeal No. CIC/AT/A/2008/01280 dated 22.09.2009 (Shri Ketan Kantilal Modi vs. Central Board of Excise and Customs):

" *Transfer ... cannot be claimed by Petitioner as a matter of right – a substitute for his own due diligence, i.e. to file the petition under section6(1) appropriately before the public authority which is known to hold the information requested and, more importantly, which the petitioner himself knows holds the information.* "

6. Due to above reasons, no further action is called for on your Appeal and the same is accordingly disposed of.

7. In case you are not satisfied with the given decision, you may, if so desired, prefer 2nd Appeal under section 19(3) of the RTI Act, 2005, before the Central Information Commission, CIC Bhawan, Baba Gang Nath Marg, Munirka, New Delhi-110067, within 90 days of receipt of this communication by you.

Shobana
(Shobana Pramod)
Director & Appellate Authority

स्पीड पोस्ट द्वारा

सूचना का अधिकार

प्रधान मंत्री कार्यालय

PRIME MINISTER'S OFFICE

साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली-110011

दिनांक: 16/10/25

सं. आरटीआई/5706/2025-पीएमआर

सेवा में,

विषय – सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपील पर निर्णय।

महोदय,

कृपया दिनांक 18.09.2025 के अपने पत्र (दिनांक 23.09.2025 को प्राप्त) का संदर्भ लें, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपील के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

2. यह पाया गया है कि आपने दिनांक 12.08.2025 को सूचना का अधिकार के अंतर्गत आवेदन (दिनांक 13.08.2025 को प्राप्त) किया था।

3. प्रधान मंत्री कार्यालय के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ने दिनांक 01.09.2025 के पत्र द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ, इस कार्यालय का प्रत्युत्तर उपलब्ध करा दिया था।

4. मामले की जांच की गई है। प्रधान मंत्री कार्यालय के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ने आपको सूचित किया था कि आपकी याचिका पर उचित कार्रवाई हेतु इसे महाराष्ट्र सरकार, मुंबई को अग्रेषित कर दिया गया है और इसलिए, इस मामले में कार्रवाई से संबंधित विवरण प्राप्त करने के लिए वेब-लिंक www.pgportal.gov.in को देखने की सलाह दी गई थी।

5. यह निर्णय दिया जाता है कि इस कार्यालय के अभिलेखों के अनुसार उपलब्ध कराई गई सूचना पर्याप्त है। इसे देखते हुए, आपको प्रश्नगत पत्र के संदर्भ में कार्रवाई के विषय में आगे की सूचना / शिकायत के लिए संबंधित लोक प्राधिकरण अर्थात् महाराष्ट्र सरकार, मुंबई से संपर्क करने की सलाह दी जाती है क्योंकि यह पत्र उन्हें अग्रेषित किया गया है और उन्हीं के पास है।

जारी---/---

Through RTI Portal

सूचना का अधिकार/Right to Information

प्रधान मंत्री कार्यालय

PRIME MINISTER'S OFFICE

साउथ ब्लाक, नई दिल्ली -110 011

South Block, New Delhi – 110 011

No. RTI/6313/2025-PMR

Date: 19/09/2025

To

Subject: Decision on appeal under the Right to Information Act, 2005.

Sir,

Please refer to your letter dated 11.09.2025 (Online No. 00347), preferring an appeal under the Right to Information Act, 2005.

2. It is observed that you made an RTI Application dated 06.09.2025 (Online No. 03296).

3. The CPIO, PMO, vide online response dated 11.09.2025, furnished the response of this office.

4. I have examined the matter and it is observed that the information sought by you primarily pertains to the State Government. Therefore, the advice of CPIO, PMO to you to file application separately with the concerned public authority(s) of the State Government for obtaining the requisite information is in order.

5. Due to above reasons, no further action is called for on your Appeal and the same is accordingly disposed of.

6. In case you are not satisfied with the given decision, you may, if so desired, prefer 2nd Appeal under section 19(3) of the RTI Act, 2005, before the Central Information Commission, CIC Bhawan, Baba Gang Nath Marg, Munirka, New Delhi-110067, within 90 days of receipt of this communication by you.

Shobana

(Shobana Pramod)

Director & Appellate Authority